म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम)
पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालयः जी.पी.एच. कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर-452003
CIN:U40109MP2002SGC015121; Website:www.mpwz.co.in; दूरभाष क्रमांक-0731-2426131

क्र.प्रनि/पक्षे/प्रशि.प्रको./2025-26/ 4673 इन्दौर, दिनांक - 9 MAR 2026

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत छात्र प्रशिक्षार्थियों हेतु एक वर्षीय On-the-Job-Training (OJT) प्रदान करने के लिए आवेदन हेतु विस्तृत अधिसूचना

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, म.प्र. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिनकी शैक्षणिक योग्यता आई.टी.आई. (इंजीनियरिंग अथवा नॉन-इंजीनियरिंग) / स्नातक (लेखा / मानव संसाधन) उत्तीर्ण हो, से मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1232/ 123436/ 2023/42-2 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से लागू मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा), स्टेनो (हिंदी), स्टेनो (इंग्लिश), एवं (लेखा / मानव संसाधन) जैसे विषयों पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओ को उदयोग उन्मुख 1वर्षीय On the Job Training (OJT) प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

उक्त प्रशिक्षण (एक वर्षीय) में कुल 150 रिक्तियाँ है, जो कि विभिन्न जिलों (इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, आगर, शाजापुर) में कंपनी अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में हैं, जिनका स्थानवार एवं विषयवार विवरण संलग्न है।

No	Name of District	Name of Office/Circle	ITI Pass				Graduate		Grand Total
			Information & Communication Technology	COPA	Stenographer (Hindi)	Stenographer (English)	Account Executive	Executive HR	
1	Indore	Corporate office	6	10	4	2	---	2	24
		CE-IR	2	10	2	---	---	2	16
		City Circle Indore	1	---	5	---	30	---	36
		O&M Indore	1	20	5	---	---	---	26
2	Khandwa	O&M Khandwa	---	2	---	---	---	---	2
3	Burhanpur	O&M Burhanpur	---	2	---	---	---	---	2
4	Khargone	O&M Khargone	---	2	---	---	---	---	2
5	Barwani	O&M Barwani	---	2	---	---	---	---	2
6	Dhar	O&M Dhar	---	2	---	---	---	---	2
7	Jhabua	O&M Jhabua	---	2	---	---	---	---	2
8	Ujjain	CE-UR	---	4	---	---	---	---	4
		O&M Ujjain	---	20	---	---	---	---	20
9	Dewas	O&M Dewas	---	2	---	---	---	---	2
10	Shajapur	O&M Shajapur	---	2	---	---	---	---	2
11	Agar	O&M Agar	---	2	---	---	---	---	2
12	Ratlam	O&M Ratlam	---	2	---	---	---	---	2
13	Mandsaur	O&M Mandsaur	---	2	---	---	---	---	2
14	Neemuch	O&M Neemuch	---	2	---	---	---	---	2
	GRAND	**TOTAL**	**10**	**88**	**16**	**2**	**30**	**4**	**150**

नोट: उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए हैं।

1. **योजना के तहत पात्रता:**

    1.1 आयु संगणना तिथि: 01.03.2026

    1.2 अभ्यर्थी की आयु 18 से 29 वर्ष होनी चाहिए।

    1.3 शैक्षणिक योग्यता आई.टी.आई. (इंजीनियरिंग अथवा नॉन-इंजीनियरिंग) / स्नातक उत्तीर्णहोना चाहिए।

    1.4 योजना के तहत चयनित युवाओं को छात्र-प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा।

    1.5 रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है।

    1.6 प्रशिक्षण की अवधि केवल 1 वर्ष (12 माह) रहेगी।

2. **चयन प्रक्रिया:**

    2.1 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर द्वारा निर्धारित की गई अंतिम समय सीमा तक प्राप्त आवेदनों की उप-स्थानवार विस्तृत सूची, उप-स्थान का उपयोग करके डाउनलोड की जाएगी तथा OJT जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हुए पाठ्यक्रमवार शैक्षणिक योग्यता जैसे आई.टी.आई. (इंजीनियरिंग अथवा नॉन-इंजीनियरिंग) / स्नातक (नॉन-इंजीनियरिंग) में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम (मेरिट आधार) में चयन किया जायेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची से चयन किया जायेगा।

    2.2 चयन होने पर चयनित अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जायेगा जिसे चयनित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वीकार अथवा अस्वीकार करना होगा। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार अथवा अस्वीकार नहीं किया गया तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट स्वतः ही निरस्त हो जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं चयनित अभ्यर्थी की होगी।अतः उम्मीदवारों को समय-समय पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन पोर्टल का अवलोकन करना होगा।

    2.3 निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

    2.4 चयनित उम्मीदवार की OJT जिले के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु कहीं भी संलग्न किया जा सकता है।

    2.5 यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में उक्त योजनान्तर्गत प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है तो वह अभ्यर्थी पुनः आवेदन नहीं कर सकता। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

    2.6 विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची तथा प्रकाशित रिक्तियों एवं इस अवधि में समय-समय पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति इस वरीयता सूची के अनुसार की जा सकेगी।

3. **स्टाईपेण्ड -**

क्र.	कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली स्टाइपेंड की कुल राशि (रु.में)		
		प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली स्टाइपेंड की कुल राशि (न्यूनतम स्टाइपेंड का 25% राशि) (रु.में)	राज्य शासन द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को DBT के माध्यम से प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली स्टाइपेंड की कुल राशि (न्यूनतम स्टाइपेंड का 75% राशि) (रु.में)	कुल राशि (रु.में)
1	आईटीआई उत्तीर्ण	2125	6375	8500
2	स्नातक डिग्री या उच्च	2500	7500	10000

नोट :- उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता/लाभ की पात्रता नहीं होगी। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि (1 वर्ष) तक ही स्टाइपेंड दिया जायेगा। यदि किसी छात्र-प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण अवधि के मध्य प्रशिक्षण छोड़ दिया जाता है तो प्रशिक्षण के शेष बचे दिवसों का भुगतान नहीं किया जायेगा, न ही बाद में प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने हेतु मान्य किया जायेगा। योजना के अंतर्गत मोबाईल एप्लिकेशन में दर्ज उपस्थिति के अनुसार ही मासिक स्टाइपेंड का भुगतान किया जायेगा।

4. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:

4.1 किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस के आधार पर ही किया जायेगा।

5. आवेदन कैसे करें

5.1 अभ्यार्थी को **मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना** के ऑनलाईन पोर्टल (https://mmsky.mp.gov.in/Web/Candidate/ Registration) के माध्यम से आवेदन करना होगा।

5.2 इस योजना में पंजीयन करने के लिए **समग्र आईडी अनिवार्य** है।

5.3 समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल सक्रिय/उपलब्ध होना चाहिए।

5.4 समग्र पोर्टल पर आवेदक का **आधार ई-केवाईसी** किया जाना आवश्यक है। (यहाँ ई-केवाईसी का आशय समग्र पोर्टल पर आधार डेटा का OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान है।)

5.5 समग्र आईडी में ई-केवाईसी करवाने एवं चेक करने हेतु समग्र पोर्टल (https://samagra.gov.in) पर जायें। समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी के पश्चात स्टेटस अपडेट होने में सामान्यतः **24 घंटे** लगते हैं

5.6 अभ्यार्थी, पंजीयन करने के पश्चात प्राप्त **यूजर आईडी और पासवर्ड** से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें।

5.7 अभ्यार्थी, योजना अंतर्गत पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आईटीआई/ स्नातक) की जानकारी दर्ज करें। इसके लिए संबंधित **अंकसूची की सॉफ्टकॉपी** (अधिकतम आकार:500KB, प्रकार: केवल PDF) तैयार रखें।

5.8 बैंक खाता आधार से लिंक एवं **DBT सक्रिय** होना चाहिए। स्टाइपेंड आपके आधार लिंक खाते में ही प्राप्त होगा।

5.9 आवेदक अपना पंजीयन करने के पश्चात **संलग्न रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन** कर सकते हैं।

5.10 केवल **ऑनलाईन आवेदन ही मान्य** होगा।

5.11 ऑनलाईन आवेदन दिनांक **11.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे से** दिनांक **17.03.2026 की रात्रि 12:00 बजे तक** भरे जायेंगे। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5.12 पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर **जिला स्तरीय आईटीआई** से संपर्क किया जा सकता है।

6. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें

6.1 अभ्यार्थी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वे उक्त योजना अंतर्गत प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं।

6.2 प्रशिक्षण हेतु रिक्तियॉ केवल **म.प्र. के स्थानीय निवासी अभ्यार्थियों** के लिये हैं।

6.3 यदि चयन प्रक्रिया अथवा प्रशिक्षण के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि अभ्यार्थी निर्धारित अहर्ताओं एवं पात्रता को पूर्ण नहीं करते हैं और कंपनी की आवश्यकताओं अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं,

MPPLR

अथवा उन्होंने योग्यता/अहर्ताओं से संबंधित कोई भी जानकारी छुपाई है / गलत जानकारी दी गई है, तो उनकी उम्मीदवारी **निरस्त की जा सकेगी अथवा प्रशिक्षण समाप्त किया जा सकेगा।**

6.4 विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निराकरण **"मुख्य मंत्री सीखो कमाओ" योजना एवं लागू संशोधनों** के प्रावधानुसार किया जावेगा।

6.5 अभ्यार्थी चयन हेतु **म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर** द्वारा लागू किये गये/स्थापित नियमों एवं भविष्य में लागू किये जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिये बाध्य होंगे।

6.6 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए चयन प्रक्रिया को रद्द करने / सीमित करने / बढ़ाने का अधिकार होगा।

6.7 चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं किया जावेगा।

6.8 अभ्यार्थी ध्यान रखें कि यह विज्ञापन केवल **On-the-Job-Training** के लिए है। **म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.इंदौर में नियमित नौकरी या रोजगार के लिए नहीं।** प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर किसी भी अभ्यार्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.)

MPPLR